



# रोज़गार समाचार

रोज़गार समाचार की ओर से नव वर्ष 2020 की शुभकामनाएं



खंड 44 अंक 40 पृष्ठ 40

नई दिल्ली 4 - 10 जनवरी 2020

₹ 12.00

## कौशल विकास और उद्यमिता में पहल

**कौशल** विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 2019 में, अनेक पहलें की हैं, जिनमें कन्वर्जेंस, परिमाण में बढ़ोतारी, आकांक्षाओं की पूर्ति और बेहतर गुणवत्ता पर विशेष ज़ोर दिया गया है। मंत्रालय का दृष्टिकोण पत्र “उच्च मानदंडों की गति के साथ बड़े पैमाने पर कौशलीकरण से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और नवाचार आधारित उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना है जो देश के सभी नागरिकों के लिये स्थायी आजीविका सुनिश्चित करें”।

मंत्रालय ने 2019 में कन्वर्जेंस, परिमाण में बढ़ोतारी, आकांक्षाओं की पूर्ति और गुणवत्ता सुधार पर विशेष ज़ोर देते हुए इस दृष्टिकोण की दिशा में प्रयास किया है।

### कन्वर्जेंस

**राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम):** देश में कौशल विकास और उद्यमिता के प्रयासों को तेज़ तथा केंद्रित करने के बास्ते 2014 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया। एनएसडीएम के अधीन किये गये प्रयासों से केंद्रीय सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन एक करोड़ से अधिक युवाओं को हर वर्ष कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

**कौशल इंडिया पोर्टल:** विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं और निगमों का एकल मंच पर कौशल विकास संबंधी विवरण के कन्वर्जेंस में सहायता के लिये स्किल इंडिया पोर्टल के नाम से एक मज़बूत आईटी प्लेटफार्म का शुभारंभ किया गया। अब यह नीति निर्माताओं द्वारा डेटा संचालित निर्णय लेने में सक्षम करेगा और कौशल पारिस्थितिकी में सूचना विषमता दूर करने में मदद करेगा। यह भारत के नागरिकों के लिये कौशल विकास के अवसरों और संबंधित सेवाओं की मांग करने के लिए एकल स्पर्श बिंदु भी होगा।

### विस्तार

**औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीआई):** भारत में मौजूदा दीर्घावधि प्रशिक्षण पारिस्थितिकी का विस्तार और आधुनिकीरण किया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (आईटीआई) की कुल संख्या में 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2014 में 11964 से बढ़कर 2018-19 में यह 14939 हो गई। अवधि के दौरान प्रशिक्षण नामांकन में 37 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह 16.90 लाख से बढ़कर 23.08 लाख हो गया।

**प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):** कार्यक्रम के तहत अब तक लगभग 87 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। पीएमकेवीवाई 2016-19 के अधीन प्लेसमेंट लिंक्ड कार्यक्रम के अधीन 54 प्रतिशत से अधिक रोज़गार इससे जोड़े गये हैं।

**प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके):** 812 आवंटित पीएमकेके में से 681 केंद्र स्थापित कर दिये गये हैं। केंद्रों को पीएमकेवीवाई स्कीम के अधीन 18 लाख से अधिक उमीदवारों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य आवंटित किया गया है जिनमें से 9,89,936 उमीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है, 8,85,822 का मूल्यांकन किया गया, 740,146 को प्रमाण-पत्र दिये गये तथा 4,35,022 उमीदवारों की सफलतापूर्वक प्लेसमेंट की गई है।

**पूर्व शिक्षण की पहचान:** पीएमकेवीवाई 2016-19 के अधीन आरपीएल कार्यक्रम की शुरुआत व्यक्तियों द्वारा पूर्व में प्राप्त कौशलों की पहचान करने के लिये की गई थी। अब तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के आरपीएल कार्यक्रम के अधीन 26 लाख से अधिक लोगों को अभिविन्यास कार्यक्रम में शामिल किया गया है। आरपीएल की कक्षा में उत्कृष्ट नियोक्ता श्रेणी के अधीन कंपनियों की सहायता से औपचारिक कौशलीकरण के लिये 11 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिये अभिविन्यास कार्यक्रम संचालित किया गया।

**सुप्रीम कोर्ट में आरपीएल:** पूर्व शिक्षण पहचान कार्यक्रम (आरपीएल) के अधीन सुप्रीम कोर्ट, टाटा स्ट्राइव और मारुति सुजुकी में क्रमशः रसोइयों और चालकों के एक बैच के प्रशिक्षण का काम पूरा किया जा चुका है। प्रशिक्षण दो



दिन तक संचालित किया गया जिसमें सुरक्षा पहलुओं, व्यक्तिगत सौदर्य, सॉफ्ट

कौशल और कुछेक तकनीकी पहलुओं को शामिल किया गया।

**इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता ज्ञापन:** एमएसडीई के अधीन बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा) क्षेत्र कौशल परिषद ने आरपीएल उत्कृष्ट श्रेणी नियोक्ताओं के अधीन 1,70,000 ग्रामीण डाक सेवकों के प्रमाणन के लिये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। अद्यतन तिथि को इसके अधीन कुल 9,046 उमीदवारों को प्रमाणित किया जा चुका है।

**केंद्र मान्यता:** केंद्र मान्यता और संबद्धता पोर्टल-स्मार्ट के जरिए अल्पावधि मानकीकरण कौशल क्षमता का महत्वपूर्ण सूचन। अद्यतन तिथि तक 11,977 केंद्रों को मान्यता और संबद्धता प्रदान की जा चुकी है। इसकी वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता प्रति वर्ष लगभग 50 लाख की है।

**जम्मू और कश्मीर में कौशल विकास:** जम्मू एवं कश्मीर से सभी पात्र लाभार्थियों की शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने और इसके लिये आवश्यक कदम उठाने हेतु विचारित्व के लिये एमएसडीई, जम्मू एवं कश्मीर सरकार और राज्य कौशल विकास मिशन के अधिकारियों के मध्य एक बैठक का आयोजन किया गया। दीर्घावधि कौशलीकरण को बढ़ावा देने के लिये एनएसटीआई जम्मू को चालू किया गया। एनएसक्यूएफ लेवल-6 प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

**लेह में कौशल विकास:** देश के सभी हिस्सों में कौशल प्रशिक्षण की बेहतर पहुंच के लिये एक एनएसटीआई विस्तार केंद्र लेह में खोला गया है। मंत्रालय देश में सटीक प्रशिक्षित कार्यबल के सूचन के लिये सभी संभव कदम उठा रहा है।

**संकल्प (आजीविका उन्नयन के लिये कौशल ग्रहण और ज्ञान जागरूकता):** संकल्प पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला कोहिमा में 3-4 सितंबर, 2019 को आयोजित की गई। कार्यशाला में छह राज्यों नामतः नगालैंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ने भाग लिया। क्षेत्रीय कार्यशाला के साथ-साथ जिला अधिकारियों और प्रशिक्षकों की कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। इसके अलावा, संकल्प के अधीन दिल्ली और महाराष्ट्र में भी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त संकल्प के अधीन एक प्रतिनिधिमंडल को सियोल, कोरिया की यात्रा के लिये भेजा गया जिसका आयोजन विश्व बैंक ने किया तथा राज्य प्रोत्साहन अनुदान (एसआईजी) मुख्य आधार और राज्य प्रस्तुति की स्थिति की समीक्षा के लिये राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कानूनेसिंग की गई।

**प्रयास:** योजना का मुख्य केंद्र बिंदु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यनिष्ठादान में सुधार करना है। प्रथम चरण में, 314 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है और 198 कार्यनिष्ठादान अधारित अनुदान समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। योजना में

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षित प्रशिक्षण में सहायता के लिये राज्य सरकारों की क्षमता वृद्धि के लिये भी काम किया जाता है। अद्यतन तिथि को 31 राज्यों ने समझौता ज्ञापन अर्थात् कार्यनिष्ठादान आधारित वित्तपोषण समझौते (पीबीएफए) पर हस्ताक्षर किये हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण तकनीकों में सुधार के लिये राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) प्रशिक्षण 36 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और अनुदेशकों के लिये संचालित किये जा रहे हैं।

**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने विभिन्न देशों जैसे कि सिंगापुर, यूर्झ, जापान, कनाडा, आस्ट्रेलिया के साथ कौशल विकास में कार्य करने और देश में कृशल कार्यबल के लिये अधिक क्षमता निर्माण करने, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर मिलकर काम करने तथा इन देशों में कृशल कार्यबल की मांग पूरा करने हेतु उनके साथ सहयोग करने और उन्हें प्रशिक्षित पेशेवरों की आपूर्ति करने के लिये अपने समकक्षों के साथ मुलाकात की।

**पीएम-युवा योजना (प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान)** 12 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों (दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चरी, तेलंगाना, केरल, पञ्चम बंगल, बिहार, असम, मेघालय, उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र) में 300 संस्थानों (200 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, 50 बहुतकानीकी संस्थानों, 25 पीएमके/पीएमकेवीवाई और 25 जन शिक्षण संस्थानों में एक प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य वैकल्पिक कैरिअर विकल्प के रूप में उद्यमिता को बढ़ावा देना और संभावित तथा शुरुआती चरण के उद्यमियों के लिये यात्रा के माध्यम से निरंतर दीर्घकालिक समर्थन को संभव करना, उद्यमशीलता की शिक्षा प्रदान करना और प्रशिक्षुओं/लाभार्थियों को कृशल पारिस्थितिकी तंत्र से सहायता करना है। प्रायोगिक परियोजना के उद्यमिता जागरूकता और शिक्षा सत्रों के जरिए लगभग 70,000 युवाओं तक पहुंच कायम करने की आशा है। परियोजना में मार्च, 2020 तक 600 नये और 1000 स्केल-अप उद्यमियों के सूचन की संभावना है।

**रिलायंस जियो के साथ सहयोग:** औद्योगिक संबंध को मज़बूत करने के लिये डीजीटी और एमएसटीआई में उनके ग्रह संपर्क प्रभाग के लिये प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिये रिलायंस जियो के साथ सहयोग समझौता किया गया है। 6 स्थानों अर्थात् एनएसटीआई चेन्नै, बंगल

## कौशल विकास ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

**राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार 2019:** एमएसडीई ने देश में उद्यमशीलता पारिस्थिति के निर्माण में लगे 30 युवा उद्यमियों और 6 संगठनों/व्यक्तियों को एनईए 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार उद्यमिता विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिये सम्मानित करने के लिये प्रदान किये गये। पुरस्कार में एक ट्राफी, एक प्रमाणपत्र और 10 लाख रु. तक की पुरस्कार राशि शामिल है। यह युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम है ताकि देश में रोजगार ढूँढ़ने वालों की बजाए अधिक रोजगार सृजकों का निर्माण हो सके।

**कौशल साथी काउंसलिंग कार्यक्रम:** एमएसडीई ने कौशल साथी कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसका उद्देश्य कौशल भारत मिशन के अधीन विभिन्न अवसरों के लिये देश के युवाओं को संवेदनशील करना और कौशल विकास के लिये आकंक्षाओं में वृद्धि करना है। कार्यक्रम के अधीन लगभग 40 लाख छात्रों को काउंसलिंग प्रदान की गई।

**व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये नीतिगत कार्य:** इसके तहत, एमएसडीई ने स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने पर नीतिगत कार्रवाई का सृजन करने और स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को समान अधिमान दिये जाने हेतु अभियान शुरू किया है। व्यावसायिक से सामान्य और विलोमतः सीधी और क्षैतिज मोबिलिटी के लिये मसौदा क्रेडिट फ्रेमवर्क विकसित किया गया। इस फ्रेमवर्क को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

**सरकारी स्कूलों में 500 कौशल हब:** एमएसडीई ने सरकारी स्कूलों में 500 कौशल हबों और प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिये भी एक योजना को अंतिम रूप दिया है। स्कूली छात्रों के लिये “हब्स ऑफ एक्सीलेंस इन स्किल्स” विकसित करने के लिये सीबीएसई के साथ मिलकर काम करते हुए एमएसडीई स्कूलों के लिये उच्च गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी उन्मुख कौशल कार्यक्रम शुरू करेगा। कौशल भारत वर्तमान में 9100 + स्कूलों से जुड़ चुका है और 20 सेक्टर्स से कौशलों का समेकन किया गया है। इससे अब तक 7.5 लाख छात्र लाभान्वित हुए हैं। इन पहलों की राज्यों के साथ मिलकर योजना बनाई जा रही है।

**एम्बेडिड प्रशिक्षुता डिग्री कार्यक्रम:** एमएसडीई और एमएचआरडी दोनों ने मिलकर श्रेयस कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें रिटेल, मीडिया और लॉजिस्टिक्स में प्रशिक्षुता डिग्री कार्यक्रम डिग्री कार्यक्रमों जैसे कि बीए/बी.एससी/बी.कॉम (व्यावसायिक) पाठ्यक्रमों के तौर पर उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में संचालित किये जाते हैं। अब तक, 25 कालेजों में कार्यक्रम जोड़े गये तथा 643 छात्रों को नामांकित किया गया।

**प्रशिक्षुता पखवाड़ा के जरिए प्रशिक्षुता से औपचारिक कौशलों के लिये मांग की पूर्ति:** एमएसडीई ने एक प्रशिक्षुता पखवाड़े का आयोजन किया जो कि देश भर में मनाया गया जहां उद्योगों और राज्य सरकारों ने चालू वित्तीय वर्ष में 7 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है, जो कि संपूर्ण होने पर प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 में किये गये पिछले संशोधन के पद प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या को लगभग दोगुणा कर देगा। एमएसडीई तृतीय पक्ष एग्रीगेटर्स को भी बढ़ावा दे रहा है जो कि प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिये महत्वपूर्ण है जो कि कौशल विकास का सर्वाधिक सतत स्वरूप है।

**भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस):** कौशलों की गुणवत्ता और मात्रा में एक निश्चित मानक और व्यवस्था लाने के बास्ते, एमएसडीई ने हाल में मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) की स्थापना की घोषणा की जो कि देश के प्रमुख आईआईएम और आईआईटी के समतुल्य काम करेगा। यह परियोजना टाटा समूह के साथ साझेदारी में है इसे सरकार द्वारा प्रदान की गई 4.5 एकड़ भूमि में बनाया जायेगा। टाटा समूह लगभग 300 करोड़ रु. का निवेश करेगा और पूरा होने पर आईआईएस की हर साल 5000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमता होगी।

**एसबीआई के साथ समझौता ज्ञापन:** एमएसडीई ने वित्तीय क्षेत्र में प्रशिक्षुता को प्रोत्साहन देने के लिये साझेदारी शुरू करने की पहल के भाग के तौर पर चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में बैंकिंग फ्रंट ऑफिस एंजीक्यूटिव और टेलीकालर्स के तौर पर 5000 प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिये एसबीआई के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

**कौशल वाउचर्स:** एमएसडीई कार्यक्रमों की सुपुर्दी और गुणवत्ता बढ़ाने के लिये एक मॉडल प्रावधान के तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिये एक कौशल वाउचर कार्यक्रम का भी विकास कर रहा है। ये वाउचर्स प्रशिक्षकों और उद्यमियों को उनके द्वारा सर्वाधिक मूल्यवान प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये प्रदान किये जाने की आशा है।

**वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल कजान 2019:** इंडिया स्किल्स 2018 के 22 विजेता और उनके विशेषज्ञों ने कजान, रूस में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल 2019 (डब्ल्यूएसके) में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ देश का प्रतिनिधित्व किया। प्रतियोगिता में भारत ने एक स्वर्ण, एक रजत, दो कांस्य और 15 उत्कृष्ट पदक जीते। भारत ने इस महत्वपूर्ण कौशल चैंपियनशिप में देश के लिये उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल 2019 में भाग लेते हुए 63 देशों में 13वां स्थान प्राप्त किया। उन्हें उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिये प्रमाण-पत्रों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

### गुणवत्ता सुधार

**प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 में सुधार :** मंत्रालय ने प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 में इसे उद्योग के लिये अधिक प्रशिक्षु अपेक्षित बनाने के लिये व्यापक रूप से सरल बनाने के लिये अनेक सुधार किये हैं। प्रशिक्षुता नियम 1961 के अधीन किये गये व्यापक सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ◆ प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिये ऊपरी सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना;
- ◆ किसी स्थापना के लिये प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के अनिवार्य दायित्व के साथ आकार की सीमा को घटाकर 40 से 30 किया जाना;
- ◆ प्रथम वर्ष के लिये वृत्तिका का भुगतान न्यूनतम दिहाड़ी से जोड़ने की बजाए नियत करना;
- ◆ प्रशिक्षु को दूसरे और तीसरे वर्ष के लिये वृत्तिका में 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की वृद्धि;
- ◆ वैकल्पिक ट्रेड के लिये प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि 6 माह से 36 माह तक हो सकती है।

**प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली:** एमएसडीई कम से कम 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये आईटीआई की दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली योजना को भी विस्तारित कर रही है। डीएसटी जर्मन पद्धति से प्रोत्साहित प्रशिक्षण का एक मॉडल है और विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों को प्रशिक्षण के जरिए उद्योग के बारे में निपुणता प्रदान करता है। पहले 100 दिनों में, 40 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों ने समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं और 739 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। पाठ्यक्रम के व्यावहारिक प्रशिक्षण हिस्से की अवधि भी लचीली बनाई गई है और उद्योग अनुसूची के अनुकूल होती है। सीटीएस के अधीन पूर्व के मात्र 17 पाठ्यक्रमों की अपेक्षा अब सभी 138 से अधिक पाठ्यक्रम लाये गये हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को तीसरी पारी में संबद्धता के साथ डीएसटी के अधीन प्रशिक्षण संचालित करने की विशेष अनुपति प्रदान की गई है।

**नये युग के कौशल:** समय के साथ आधुनिकता बनाये रखने के लिये एमएसडीई ने 12 एनएसटीआईज में नये युग के पाठ्यक्रम भी शुरू किये हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स-स्मार्ट हेल्थकेअर; इंटरनेट ऑफ थिंग्स-स्मार्ट सिटीज; 3D प्रिंटिंग; ड्रोन पायलट्स; सौर तकनीशियन और जियो इन्फारेटिक्स शामिल हैं।

**ज़िला कौशल समितियों का गठन:** देश में ज़मीन स्तर तक विभिन्न सुधार पहुंचाने और हरेक नागरिक को सशक्त बनाने के लिये, मंत्रालय ने संकल्प कार्यक्रम के अधीन अपने आकंक्षात्मक कौशल अभियान के भाग के तौर पर सभी जिलों में ज़िला कौशल समितियों का गठन किया है, जिसका वित्तपोषण विश्व बैंक करता है। एमएसडीई इन ज़िला कौशल समितियों पर स्थानीय स्तर पर कौशल अंतर की पहचान करने और स्थानीय बाज़ार संचालित कौशल विकास अवसरों के सुदृढ़ीकरण के लिये प्रशिक्षण महानिदेशालय के जरिए नियंत्रण करता है।

**महात्मा गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएनजीएफ):** एमएसडीई ने 6 राज्यों में 75 जिलों के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति का भी गठन किया है। इनके अधीन 75 युवा विशेषज्ञों का चयन किया जायेगा और जिला स्तरीय योजना, जिला कौशल विकास समितियों को विभिन्न पण्थारियों के बीच डेटा/सूचना, समन्वयन के कौशल प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी में जिला अधिकारियों की सहायता के लिये 75 चिन्हित जिलों में तैनात किया जायेगा।

**भारतीय कौशल विकास सेवाएँ:** देश के युवाओं को कौशल की अपेक्षा अनुरूप महत्व प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा अथवा डाक एवं टेलीग्राफ सेवा की तरह एक नई प्रशासनिक सेवा के सृजन के लिये कदम बढ़ाये हैं। एमएसडीई की एक अधिसूचना के जरिए भारतीय कौशल विकास सेवा (आईएसडीएस) का सृजन किया गया है। इस सेवा का निर्माण कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय के लिये किया गया है। आईएसडीएस एक समूह 'क' सेवा होगी जिसमें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय इंजीनियरी सेवा परीक्षा के जरिए भर्ती की जायेगी। नवसृजित केंद्रीय सरकार की सेवा, भारतीय कौशल विकास

सेवा के नवीनतम बैच ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम 9 सितंबर, 2019 को प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर में आरंभ किया। भारतीय कौशल विकास सेवा में अखिल भारतीय स्तर पर 263 पद हैं। संवर्ग में 3 पद वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में, 28 पद कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में, 120 पद सीनियर टाइम स्केल में और 112 जूनियर ट